



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 5, May 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

लोक प्रशासन और निजी प्रशासन – एक तुलनात्मक अध्ययन

अशोक कुमार मीणा

सहायक आचार्य, लोक प्रशासन
राजकीय महाविद्यालय, सांडवा (चूरु)

सारांश

लोक प्रशासन के सम्यक ज्ञान के लिए व्यक्तिगत प्रशासन से इसका भेद भी समझ लेना आवश्यक होगा। वास्तव में, लोक प्रशासन की महत्ता इस बात में है कि वह व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न है। लोक प्रशासन कहने पर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई ऐसा भी प्रशासन है जो 'लोक' का नहीं है अर्थात् व्यक्तिगत है। लोक प्रशासन के लक्ष्य और प्रक्रियाएँ व्यक्तिगत प्रशासन से सर्वथा भिन्न हैं। कुछ विद्वान जैसे हेनरी फायल, एम० पी० फालेट और एल० उरविक, ने लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के अन्तर को मानने से इन्कार किया है। उनके अनुसार सभी प्रशासन में एक-सी विशेषता पायी जाती है। दोनों प्रकार के प्रशासनों में एक ही प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के प्रशासनों के कर्मचारी अपने पदों को एक-दूसरे से अक्सर बदलते हैं। व्यापारिक संस्थानों के अनुभव के आधार पर ही सरकारी नियमों को प्रचलित किया गया है। उसी तरह, सरकारी प्रशासन के अनुभवों से व्यक्तिगत प्रशासकीय संस्थाएँ लाभ उठाने में नहीं हिचकती हैं। इन समानताओं के बावजूद दोनों को एक नहीं किया जा सकता। एपलबी के अनुसार, "व्यापक अर्थ में सरकारी कार्य तथा स्थिति के कम-से-कम तीन ऐसे पूरक पहलू हैं जो सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं और क्रियाओं के बीच विभिन्नता प्रकट करते हैं। वे पहलू हैं क्षेत्र प्रभाव और विचार का विस्तार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति। साइमन ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि "लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक है तथा वह नौकरशाही एवं लालफीताशाही के रंगों से रंजित है। दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रशासन अराजनीतिक व्यापारिक तथा नौकरशाही और लालफीताशाही से युक्त होता है। दोनों प्रशासनों के बीच के अंतर को जोशिया स्टॉप ने स्पष्ट करते हुए चार अंतरों को स्पष्ट किया है (क) लोक प्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार करता है। एक ही प्रकार के नियम का पालन सभी जगह होता है, (ख) लोक प्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। (ग) लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और (घ) लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता सेवा है। लेकिन वर्तमान कालीन धारणा इन भेदों को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में आधुनिक युग में व्यापारिक सिद्धांत ने तो दोनों के अन्तर को और भी कम कर दिया है।

प्रमुख शब्द : नौकरशाही, लाल फीताशाही, लोक कल्याण, विज्ञापन

उद्देश्य :

आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है। सभी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासन का महत्त्व कायम रहता है। प्रशासन के ऊपर जिन कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक पद्धति को प्रशासी पद्धति (administrative system) की संज्ञा दी जाने लगी है। सभी तरह के राज्यों में प्रशासन का महत्त्व है। चाहे वह साम्यवादी राज्य हो चाहे पूँजीवादी या प्रजातांत्रिक, किंतु प्रशासन का महत्त्व सभी जगह है। वास्तव में राज्य को उन्नति उसके प्रशासन पर ही निर्भर करती है। कुशल प्रशासन के अभाव में राज्य अक्षुण्ण नहीं रह सकता है। प्रशासन सरकारी भी हो सकता है और गैर व्यक्तिगत भी। प्रशासन के दो रूप महत्त्वपूर्ण हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। लोक प्रशासन तथा निजी शासन में प्रायः समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इस लेशन प्लान का उद्देश्य है कि वास्तव में दोनों में क्या समानताएँ और क्या असमानताएँ हैं या दोनों ही अब मिलकर जनता की सेवा करते हैं। इस लेशन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। फिर यह बताया जाएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ क्या है। अध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम उनकी समानताओं और असमानताओं पर विचार करें। अंत में हम इस लेशन का सारांश देंगे और साथ ही साथ लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे।

परिचय :

जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाता है तो उसकी वर्गीय क्रिया में प्रशासन के तत्त्व मौजूद रहते हैं। सहयोग का ही दूसरा नाम प्रशासन है। प्रशासन आम लोगों के लिए लोक-कल्याण की भावना से सरकार द्वारा भी संचालित किये जाते हैं और सीमित उद्देश्यों हेतु निजी फायदे के लिए भी सरकार द्वारा संचालित प्रशासन लोक प्रशासन है और निजी फायदे के लिए प्रशासन, निजी प्रशासन होता है। प्रशासन सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी। निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन में बहुत सी समानताएँ हैं और अनेक बातों में दोनों समान लक्षण प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन पृथक पृथक हैं। हाल के वर्षों में आधुनिक लोक प्रशासन के विद्वानों ने यह विचार प्रकट किया है कि दोनों के बीच का अन्तर सिमटता जा रहा है और अब इनमें नाममात्र का अन्तर रह गया है।

लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ :

लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अर्थ को समझने के पूर्व प्रशासन से परिचय कर लेना आवश्यक है। प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग का नाम है। मानव सभ्यता

की बुनियाद भी सहयोग है। सहयोग के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः प्रशासन के तत्त्व आरंभ से ही हमारे समाज में मौजूद थे। बदली हुई परिस्थितियों की वजह से इसके स्वरूप में भले ही अन्तर आया हो, लेकिन इसकी आत्मा आज भी सहयोग पर ही आधारित है। अगर हम इसके शब्दार्थ पर नजर डालें तो पायेंगे कि "एडमिनिस्ट्रेशन" शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है "लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना।" एल० डी० ह्वाइट का कथन है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। फिफनर एवं प्रेस्थस के अनुसार वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन तब निर्देशन ही प्रशासन है। अतः कुछ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों तथा सामग्री के उचित संगठन तथा निर्देशन को प्रशासन कहा जाता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसका लक्ष्य निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। प्रशासन में मानवीय तथा भौतिक दोनों ही प्रकार के साधनों का समन्वय रहता है। इसके अन्तर्गत काम किया भी जाता है और करवाया भी जाता है। यह क्रिया सभी प्रकार के सामूहिक प्रयासों में विद्यमान है चाहे वे निजी हों या सरकारी, सैनिक हो या असैनिक हों, छोटे हों या बड़े।

लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो "लोक" और "प्रशासन" से मिलकर बना है। प्रशासन से पहले जुड़ा हुआ लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन का द्वार खोलता है। अर्थात् जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो, वह लोक प्रशासन है। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों हो सकता है लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत या निजी नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा सम्पन्न क्रियाएँ व्यापक, सार्वजनिक और लोकहित की होती हैं। इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध लोक नीति का निर्माण करने एवं उसको कार्यान्वित करने से है। लोक प्रशासन में लोक हित को ध्यान में रखकर सरकारी एवं सार्वजनिक संगठनों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाते हैं। यह एक मानवीय क्रिया है जो व्यक्तियों के समूहों द्वारा संगठित होकर आम जनता के कल्याण के लिए की जाती है। परंतु निजी प्रशासन जो हम एक विद्यालय, क्लब, निजी फ़ैक्ट्री में पाते हैं, उन पर सरकार का बहुत कम नियंत्रण होता है।

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में प्रायः समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु हेनरी फेयोल, मेरी. पी. फोलेट तथा उर्विक जैसे कुछ विचारक मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक से होते हैं और सब की आधारभूत विशेषताएँ एक समान होती हैं। वे लोक और लोकेतर प्रशासन व देशी प्रशासन के बीच कोई भेद नहीं मानते। उदाहरणार्थ, हेनरी फेयोल का कथन है "अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं बल्कि केवल एक है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भलीभाँति प्रयोग किया जा सकता है। स्मरणीय है कि लोक निजी दोनों ही प्रशासनों में बहुत सी बातें समान हैं। दोनों में अन्तर

मात्रा का है, प्रकार का नहीं। हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अन्तर अधिक नहीं है जितना छोटे तथा बड़े संगठनों के बीच होता है।

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच की समानताएँ :

हेनरी फेयोल के शब्दों में "अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जिसे लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन में समान रूप से लागू किया जा सकता है। मेरी पार्कर फौलेट तथा एल० उर्विक की यह मान्यता है कि सभी प्रकार के प्रशासन की आधारभूत विशेषताएँ एक जैसी ही हैं। एल० उर्विक बैंकर्स का है, एक शरीर क्रिया विज्ञान अध्यापकों का है या एक मनोचिकित्सा विज्ञान राजनीतिज्ञों का है। किसी विशेष प्रकार के संस्थान के उद्देश्य के अनुसार प्रबन्धकीय अथवा प्रशासनिक अध्ययन का उपविभाजन करना अधिकतर विद्वानों की दृष्टि से गलत होगा।" लोक प्रशासन के कर्मचारी आज निजी प्रशासन में और निजी प्रशासन के कर्मचारी लोक प्रशासन में सफलता पूर्वक कार्य करते हैं। भारत में लोक सेवा से अवकाश प्राप्त कर्मचारी प्रायः औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानताएँ पायी जाती है :

(1) **अनुसंधान एवं नवीन तकनीक** – नयी सम्भावनाओं के लिए अनुसंधान करना एवं नयी तकनीक को अपनाना लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों ही के लिए आवश्यक है। अन्वेषण दोनों ही प्रकार के प्रशासन के लिए आवश्यक है और उसका स्वरूप भी दोनों में एक ही प्रकार का है। दोनों ही प्रशासन नयी खोजों द्वारा नवीन सिद्धांतों विधाओं, उपकरणों आदि के आविष्कार में संलग्न रहते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों ही के विभागों में दक्ष कर्मचारी विभिन्न प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में व्यस्त रहते हैं ताकि नयी सम्भावनाओं का पता लगाकर उन्हें अपनाया जा सके ।

(2) **प्रशासन की समान तकनीक** – लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन में एक ही प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फाइल रखना, उन पर टिप्पणी लिखना, लेखा-जोखा रखना, अंकेक्षण करवाना या इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं की प्रकृति जैसी निजी प्रशासन में होती है वैसी ही लोक प्रशासन में होती है। दोनों ही प्रशासनों के लिए वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत समान रूप से हितकर है। प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय, हैदराबाद में निजी उद्योगों, सरकारी उद्योगों एवं शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस व्यवस्था के तहत यही तर्क दिया जाता है कि जो बातें लोक प्रशासन में सफलता दिला सकती हैं वे ही बातें निजी प्रशासन में भी सफलता दिला सकती हैं।

(3) **जन सम्पर्क एवं उत्तरदायित्व** – लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में ही लोक सम्पर्क का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोक प्रशासन में जन-सम्पर्क के महत्त्व को बहुत पहले ही समझ लिया गया था और अब

सार्वजनिक क्षेत्र में इसके महत्त्व को पहचाना जाने लगा है। उपभोक्ता की सम्प्रभुता व्यक्तिगत प्रशासन का मूल मंत्र है। विभिन्न व्यवसायों में प्रतिद्वन्द्विता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ कई प्रकार के प्रलोभन देकर आम जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी हैं। अतः दोनों ही प्रशासनों में जन-सम्पर्क एवं उत्तरदायित्व की उपयोगिता निर्विवाद रूप से उपयोगी है।

(4) संगठन का महत्त्व – सभी प्रकार के प्रशासनों के लिए संगठन शरीर तुल्य है। मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन करके ही लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन चाहे लोक हित की भावना से ओत-प्रोत हो, चाहे उसमें व्यक्तिगत लाभ का दृष्टिकोण हो, एक अच्छे संगठन के बिना वह अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। संगठन के संबन्ध में दोनों ही प्रशासनों में एक ही तरह के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है। निस्संदेह संगठन ही वह शरीर है जिसके विभिन्न अंगों द्वारा भिन्न-भिन्न कार्य किए जाते हैं।

(5) अधिकारियों का उत्तरदायित्व – अधिकारियों के उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन समान है। लोक प्रशासन के अधिकारी जहाँ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, वहाँ निजी प्रशासन के अधिकारी अपने उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व का सिद्धान्त दोनों ही में समान रूप से लागू होता है। प्राप्त साधनों का अधिकतम उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना दोनों ही प्रशासनों का मुख्य ध्येय है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार निजी क्षेत्र के कारखानों, बैंक अथवा अन्य संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करती है। ऐसी परिस्थितियों में निजी क्षेत्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवा में आ जाते हैं और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यों का सम्पादन करते हैं।

(6) विकास एवं प्रगति का सिद्धान्त – लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन दोनों का ही लक्ष्य संगठन एवं कुशल प्रबंध द्वारा प्रगति तथा विकास करना है। विकास एवं प्रगति न हो तो कोई भी प्रशासन मृतप्रायः तथा शिथिल माना जाएगा।

(7) निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करना – प्रत्येक प्रशासन की अपनी एक निर्धारित नीति होती है और उस निर्धारित नीति पर योजनाबद्ध ढंग से अमल किया जाता है। जिस प्रकार लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक नीति को कार्यान्वित करना है उसी प्रकार निजी नीति का कार्यान्वयन करना है। नीति के निर्माण में भी दोनों का अपने-अपने क्षेत्र में योगदान रहता है। कभी-कभी तो दोनों के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन हो जाता है। सरकार द्वारा भी बहुत से ऐसे कार्य किये जाते हैं जो एक छोटे से वर्ग के कल्याण के लिए होते हैं। उसी प्रकार निजी प्रशासन द्वारा भी सार्वजनिक कल्याण के बहुत से काम किये जाते हैं।

(8) प्रशासन के समान सिद्धान्त – जो भी मान्य प्रशासनिक सिद्धान्त है वह दोनों के लिए ही लागू होता है। आदेश की एकता का सूत्र जितना निजी प्रशासन के लिए उपयोगी है उतना ही लोक प्रशासन के लिए भी उपयोगी है ।

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच असमानताएँ

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताएँ होते हुए भी लोक प्रशासन में ऐसे लक्षण पाये जाते हैं, जो निजी प्रशासन में नहीं पाये जाते हैं। साइमन का विचार है कि जन-साधारण के मन में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के मध्य भेद की एक गहरी चेतना होती है। यह भेद प्रमुखतया तीन बातों से संबंधित होता है – (1) लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यावसायिक (2) लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और व्यक्तिगत प्रशासन अराजनीतिक, और (3) लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित रहता है तथा व्यक्तिगत प्रशासन उससे सर्वथा मुक्त ।

लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित अंतर बतलाये जा सकते हैं :-

(1) लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र व्यक्तिगत प्रशासन की तुलना में बहुत अधिक व्यापक होता है। वास्तव में सरकार की तरह कोई भी व्यक्तिगत संस्था विस्तृत नहीं हो सकती है।

(2) लोक प्रशासन का संबंध समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है जिनके बिना सामाजिक जीवन को संचालित करना संभव नहीं है। लोक कल्याण द्वारा बहुत से ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है, जिनके संपादन का भार राज्य किसी अन्य संस्था को नहीं दे सकता। उन कार्यों पर राज्य का ही एकाधिकार बना रहता है।

(3) व्यक्तिगत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति है परंतु लोक प्रशासन का नहीं। लोक प्रशासन का तो मुख्य उद्देश्य निःस्वार्थ भाष से जनता की सेवा करना है। लोक प्रशासन थोड़े लाभ के लिए परेशान न होकर लोकहित की दृष्टि से काम करता है। उसे ऐसे कार्यों के संपादन में तनिक भी हिचक नहीं होती, जिनमें सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है, परंतु जो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में यदि प्रशासन को यह लगे कि अमुक उद्योग प्रारंभ करने में उसे लाभ नहीं होगा, तो वह उसे शुरू नहीं करेगा ।

(4) लोक प्रशासन जनता के साथ समानतापूर्वक व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है। वह समाज के सदस्यों के साथ किसी तरह का पक्षपात किए बिना ही उनकी सेवा करता है। इसके

विपरीत निजी प्रशासन में इस प्रकार के समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती और वह समाज के किसी वर्ग के साथ विशेष संबंध बनाए रख सकता है।

(5) निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन के संचालन में कानून का भी महत्त्व अधिक है। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन से खरीददारी ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कानून के अनुसार चलते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो अपने नियमों का निर्माण स्वयं करता है। जबकि लोक प्रशासन को देश के कानूनों की सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करना पड़ता है।

(6) निजी प्रशासन के विपरीत लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवहार में वह जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में प्रशासन के किसी छोटे प्रश्न पर वाद-विवाद हो सकता है। उदाहरण के लिए हाल में रक्षा मंत्रालय से संबंधित तहलका डॉटकॉम के पर्दाफाश के कारण रक्षा मंत्री जार्ज फर्नानडिस को इस्तीफा देना पड़ा। इसके विपरीत, व्यक्तिगत प्रशासन जनता के प्रति इस रूप में उत्तरदायी नहीं रहता।

(7) एक अंतर यह भी है कि लोक प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण रहता है। राज्य के करों द्वारा एकत्र जनता का धन जनकल्याण के लिए ही खर्च किया जा सकता है। अतः धन पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण आवश्यक है। परंतु निजी प्रशासन में धन किस प्रकार खर्च किया जाता है, यह पूछनेवाला कोई नहीं होता है।

(8) लोक प्रशासन दोनों प्रशासनों के व्यवहार के नियम और आचरण के क्षेत्रों में भी भिन्नता वर्तमान है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक व्यक्तिगत संस्था अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और प्रचार कर सकती है उस प्रकार का विज्ञापन लोक प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता।

(9) लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक तरह की त्वरा (त्तहमदबल) होती है, जिसका व्यक्तिगत प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य नहीं हैं जिनकी एक दिन भी उपेक्षा की जा सके, या जिनमें धीमापन चलने दिया सके।

निष्कर्ष :

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन की अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं जो इसे व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न रखती हैं। फिर भी दोनों का अंतर नाममात्र का है। आधुनिक युग में व्यापारिक सिद्धांत ने तो दोनों के अन्तर को और भी कम कर दिया है। यह कहना भी अब गलत होगा कि व्यवसाय के प्रशासन का लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना है। इन दिनों बहुत हद तक उसका लक्ष्य भी जनता की सेवा करना हो गया है। कोई भी व्यापारी बिना जनता की जरूरतों को पूरा किए, मनमाने ढंग से मुनाफा नहीं कमा सकता है। उसे भी

देश के कानूनों के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। समाज के हित के लिए तथा मजदूरों और उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रशासन को भी नियंत्रित किया जाता है। जहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में लोक प्रशासन अधिक उत्तरदायी है, तो कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रशासन ही अधिक उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारियों की गलतियों के लिए सरकार जहाँ अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती, वहाँ व्यक्तिगत व्यापारी अपने एजेंट द्वारा हुए नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी है। अतः यह कहना ठीक ही है कि लोक प्रशासन और व्यक्तिगत का भेद मिटता जा रहा है। एम० पी० शर्मा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन का भेद मात्रा का है, प्रकार का नहीं। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन में जो अन्तर है, वह सूक्ष्म है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि लोक प्रशासन का अपना महत्त्व व्यक्तिगत है जो निजी प्रशासन से इसे अलग कर देता है। अतः एम० पी० शर्मा का यह कहना बिलकुल सही है कि "लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं, लेकिन उनके अपने-अपने विशेष महत्त्व और तरीके हैं, जो एक-दूसरे को अलग-अलग प्रकृति प्रदान करते हैं।

References:

1. Perry, James L., and Hal G. Rainey. "The Public-Private Distinction in Organization Theory: A Critique and Research Strategy." *Academy of Management Review*, vol. 13, no. 2, 1988, pp. 182-201.
2. Boyne, George A. "Public and Private Management: What's the Difference?" *Journal of Management Studies*, vol. 39, no. 1, 2002, pp. 97-122.
3. Frederickson, H. George. "Comparing the Reinventing Government Movement with the New Public Administration." *Public Administration Review*, vol. 56, no. 3, 1996, pp. 263-270.
4. Rainey, Hal G. *Understanding and Managing Public Organizations*. 5th ed., Jossey-Bass, 2014.
5. Savas, E. S. *Privatization and Public-Private Partnerships*. Chatham House Publishers, 2000.
6. Rainey, Hal G., and Barry Bozeman. "Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori." *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 10, no. 2, 2000, pp. 447-470.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details